"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016—माघ 16, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीलम पुरी पति श्री सुनील कुमार पुरी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 21/सी, सी पाकेट, मरौदा सेक्टर, वार्ड क्र. 60, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा भारतीय स्टेट बैंक पास बुक, यूको बैंक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नीलम पुरी अंकित है किन्तु मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के मेडिकल बुक में मेरा नाम त्रुटिवश नीलम कुमारी पुरी दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीलम पुरी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती नीलम पुरी पति श्री सुनील कुमार पुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नीलम कुमारी पुरी पति श्री सुनील कुमार पुरी निवासी-क्वा. नं. 21/सी, सी पाकेट, मरोदा सेक्टर, वार्ड क्र. 60, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती नीलम पुरी पति श्री सुनील कुमार पुरी निवासी-क्वा. नं. 21/सी, सी पाकेट, मरोदा सेक्टर, वार्ड क्र. 60, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ललिता ठाकुर पति श्री लल्लू सिंह ठाकुर, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7/सी, सड़क नं. 27, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के परिचय पत्र में मेरा नाम श्रीमती ललिता ठाकुर दर्ज है किन्तु मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती ललिता बाई अंकित हो गया है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ललिता ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती ललिता ठाकुर पति श्री लल्लू सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती ललिता बाई
पति श्री लल्लू सिंह ठाकुर
निवासी-क्वा. नं. 7/सी, सड़क नं. 27,
सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती ललिता ठाकुर
पति श्री लल्लू सिंह ठाकुर
निवासी-क्वा. नं. 7/सी, सड़क नं. 27,
सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती समीक्षा शर्मा (Smt. Samiksha Sharma) पति श्री अजय शर्मा (Shri Ajay Sharma) उम्र 27 वर्ष, निवासी- ए/85, सड़क नं. 27, स्मृति नगर, जुनवानी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुमीक्षा रानी (Sumiksha Rani) लिखा गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम समीक्षा शर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती समीक्षा शर्मा पति श्री अजय शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुमीक्षा रानी (Sumiksha Rani)
पति श्री अजय शर्मा (Ajay Sharma)
निवासी- ए/85, सड़क नं. 27, स्मृति नगर,
जुनवानी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

समीक्षा शर्मा (Samiksha Sharma)
पति श्री अजय शर्मा (Ajay Sharma)
निवासी- ए/85, सड़क नं. 27, स्मृति नगर,
जुनवानी भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती दविन्दर कौर बल पति श्री सुरजीत सिंह बल, उम्र 53 वर्ष, निवासी–क्वा. नं.–24/ए, सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दरिन्दर कौर लिखा गया है. जो कि गलत है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दविन्दर कौर बल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे दविन्दर कौर बल पति श्री सुरजीत सिंह बल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दरिन्दर कौर (Darindar Kaur)
पति श्री सुरजीत सिंह बल (Surjeet Singh Bal)
निवासी–क्वा. नं. 24/ए, सड़क नं. 6 सेक्टर 2,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दविन्दर कौर बल (Davinder Kaur Bal)
पति श्री सुरजीत सिंह बल (Surjeet Singh Bal)
निवासी–क्वा. नं. 24/ए, सड़क नं. 6, सेक्टर 2,
भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शची गोस्वामी पत्नि श्री सुरेश चन्द्र गोस्वामी, आयु 64 वर्ष, निवासी–77/1, नेहरू नगर ईस्ट भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुशीला पारासर पिता श्री सुखदेव पारासर था जो मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 11–6–1970 को श्री सुरेश चन्द्र गोस्वामी के साथ सम्पन्न हुआ तथा मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती सुशीला गोस्वामी कर लिया था जो मेरे पति के सर्विस रिकर्ड में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शची गोस्वामी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शची गोस्वामी पति श्री सुरेश चन्द्र गोस्वामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुशीला गोस्वामी
सुशीला पारासर
पिता श्री सुखदेव पारासर
निवासी–77/1, नेहरू नगर पूर्व भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शची गोस्वामी
पति श्री सुरेश चन्द्र गोस्वामी
निवासी–77/1, नेहरू नगर पूर्व भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुमन कुमार बरवा (Suman Kumar Barwa) आत्मज स्व. इलियस बरवा, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं वर्तमान में सहायक आयकर आयुक्त के पद पर बत्तीस बंगला भिलाई में पदस्थ हूं. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुमन कुमार बरवा दर्ज है जो सही व सत्य है किन्तु मेरी पुत्री क्रिस्टी बरवा, कक्षा 12वीं तथा पुत्र इशान बरवा, कक्षा 11वीं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत है के दाखिला दस्तावेज तथा पुत्री के 10वीं के अंकसूची, पुत्र के 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम (पिता का नाम) त्रुटिवश सुमन बरवा दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुमन कुमार बरवा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुमन कुमार बरवा आत्मज स्व. इलियस बरवा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुमन बरवा (Suman Barwa)
आत्मज स्व. इलियस बरवा
निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुमन कुमार बरवा (Suman Kumar Barwa)
आत्मज स्व. इलियस बरवा
निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मेरी जसिन्ता बरवा (Smt. Mary Jacinta Barwa) पति श्री सुमन कुमार बरवा, उम्र 42 वर्ष, निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती मेरी जसिन्ता बरवा दर्ज है जो सही व सत्य है किन्तु मेरी पुत्री क्रिस्टी बरवा, कक्षा 12वीं तथा पुत्र इशान बरवा, कक्षा 11वीं जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत है के दाखिला दस्तावेज तथा पुत्री के 10वीं के अंकसूची, पुत्र के 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम (माता का नाम) त्रुटिवश मेरी बरवा दर्ज हो गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मेरी जसिन्ता बरवा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे मेरी जसिन्ता बरवा पति श्री सुमन कुमार बरवा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती मेरी बरवा (Smt. Mary Barwa)
पति श्री सुमन कुमार बरवा
निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मेरी जसिन्ता बरवा
(Smt. Mary Jacinta Barwa)
पति श्री सुमन कुमार बरवा
निवासी-क्वा नं. 8/बी, सड़क नं. 40, सेक्टर 5
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग दिनांक 14 दिसम्बर 2015

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक 8310 /प्र. 2/अ. वि. अ./2015.—यत: कि श्री संतोष कुमार राय आ. श्री बी. डी. राय निवासी 40 ए/4 नेहरूनगर वेस्ट भिलाई सेटलर तहसील व जिला दुर्ग द्वारा ''मां शारदा समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट 196, जोनल मार्केट, सेक्टर-10 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग '' के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया गया कि कथित आवेदन पर दिनांक 22-01-2016 को मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	''मां शारदा समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट 196, जोनल मार्केट, सेक्टर-10 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ''
(2)	चल संपत्ति	:	51000-00 (इक्यावन हजार रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ए. के. बाजपेयी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास सारंगढ़, जिला रायगढ़

सारंगढ़ दिनांक 8 जनवरी 2016

प्ररूप-4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक सारंगढ़ के समक्ष]

क्रमांक /अ. वि. अ./वा-1/2015.— श्री अमित तिवारी पिता स्व. प्रताप नारायण तिवारी निवासी तिवारी गली वार्ड क्रमांक 6 सारंगढ़ एवं 11 अन्य ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र पर सन् 2016 के माह फरवरी दिनांक 18 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम व पता : "श्री गोपाल जी चैतन्य धर्मादा न्यास"
छोटे मठ सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ. ग.)

(2) चल संपत्ति : निरंक

(3) अचल संपत्ति : ग्राम लेन्ध्रा, प. ह. नं. 10 तहसील सारंगढ़ में निम्न विवरण अनुसार कृषि भूमि स्थित है :-

1.	खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हे. में) (2)		खसरा क्रमांक (1)	रकबा (हे. में) (2)
	122	0.259		831	0.340
	247	0.275		935	1.850
	249	0.134		1149/1	3.399
	314	0.105		1260	0.206
	344	0.134		1398	0.579
	372	0.081		1451	0.304
	373	0.049		1493	0.692
	374	0.061			
	665	0.320	**योग**	**16**	**8.785 हे.**

2. सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 06 में छोटे मठ के नाम से भगवान गोपाल जी, भगवान राधाकृष्ण, जगन्नाथ स्वामी बजरंगबली आदि का मंदिर स्थित है.

आई. एल. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/199.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप सहयोग साख सहकारी समिति मर्या. ज्योतिपुर विकासखण्ड गौरेला पं. क्र. 271 दिनांक 05-01-2009 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् सहयोग साख सहकारी समिति मर्या. ज्योतिपुर विकासखण्ड गौरेला पं. क्र. 271 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा कु. सोनिया देवांगन (CEO गौरेला) को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.